

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०: राज/284/2017

निम्नलिखित अवधि विस्तार/स्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

क.सं.	चिकित्सक का नाम	पद/स्थान	वर्तमान पद/स्थान	अभ्युक्ति
1	डॉ० प्रवीण प्रसाद	पीटीडीएस (04 घंटा प्रतिदिन/सप्ताह)/ केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना (चतुर्थ टर्म समाप्ति की तिथि-10.11.2017)	पीटीडीएस (04 घंटा प्रतिदिन/सप्ताह)/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर पंचम टर्म हेतु चतुर्थ अवधि विस्तार (4 th extension) पर दिनांक-12.01.18 तक के लिए तैनात किये जाते हैं ।
2	डॉ० राखी सिंह	पीटीडीएस (04 घंटा प्रतिदिन/सप्ताह)/ केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना (द्वितीय टर्म समाप्ति की तिथि-23.10.2017)	पीटीडीएस (04 घंटा प्रतिदिन/सप्ताह)/केन्द्रीय चिकित्सालय/पटना	पूर्णकालिक संविदा के आधार पर तृतीय टर्म हेतु द्वितीय अवधि विस्तार (2 nd extension) पर दिनांक-12.01.18 तक के लिए तैनात किये जाते हैं ।

उपरोक्त संविदा का अवधि विस्तार विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर के वित्तिय सहमति एवं मुचिनि महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

- (1) संविदा के आधार पर तैनाती अगले टर्म अर्थात् अगले एक वर्ष तक के लिए उपरोक्त इंगित स्थान पर योगदान देने की तिथि से अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमें से जो पहले हो मान्य होगा ।
- (2) पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से उपमुकाधि/राज/पूमरे/हाजीपुर एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें ।
- (3) रेल परिषद द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । रेलवे बोर्ड का पत्र सं०-E(GR)II/9/16 दिनांक-14.05.99 के अनुपालन में दो अवधि के बीच में कम से कम एक सप्ताह का break होना चाहिए।
- (4) उपरोक्त चिकित्सकों के तैनाती से पूर्व करारनामा, संबंधित चिकित्सा निदेशक द्वारा किये जाने संबंधी दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में अद्वतन एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए ।
- (5) उपरोक्त चिकित्सकों का पारिश्रमिक भुगतान आबंटित निधि से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (6) रेलवे आवास से संबंधित मामले का निष्पादन नियमानुसार किया जाए ।
- (7) पीटीडीएस को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य के अवधि को दृष्टिगत रखा जाए।

(प्रम कुमार)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/एच.आर.डी.
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

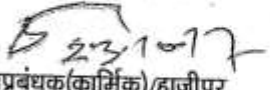
कमशः पृष्ठ/2
(कृ.पृ.उ.)

सं०:-ईसीआर/एचआरडी/राज/254/पीटीडीएस/अवधि विस्तार/भाग-11.

दिनांक- 23.10.2017

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

01. महाप्रबंधक के सचिव - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. अपर महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर।
03. विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर।
04. मुकाधि के सचिव - मुकाधि महादेय के सादर सूचनार्थ
05. मुचिनि/पूमरे/हाजीपुर - को उनके टिप्पणी सं०- पूमरे/मेड/स्था/पीटीडीएस/विस्तार/003 दिनांक-15.09.2017 के संदर्भ में।
06. चिकित्सा निदेशक/केन्द्रीय चिकित्सालयपूमरे/पटना-को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. सकाधि(बिल)/पूमरे/हाजीपुर
08. सकाधि/एसपीपी/पूमरे/हाजीपुर- नेट पर अपलोड करने हेतु।


कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर